कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली
लोकपाल, मनरेगा
जिला– वैशाली

दिनांक	शिकायत क्रम संख्या 47/13–14 के वर्णित तथ्य	अभ्युक्ति
20.01.14	यह शिकायत–पत्र श्री राकेश कुमार सिंह एवं अन्य ग्राम–चकभुआ, ग्रम पंचायत –असोई लच्छीराम, प्रखण्ड+थाना– भगवानपुर, जिला– वैशाली के दिनांक 11.12.2013 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत–पत्र में लगाये गये आरोप निम्न प्रकार है। ग्राम पंचायत असोई लच्छीराम की मनरेगा योजनाओं में लाखों रूपया गबन किया गया है तथा मजदूरों की मजदूरी लगभग चार वर्षो से नहीं दी गयी है। शिकायतकर्त्ता का आगे यह भी कहना है कि ग्राम पंचायत मनरेगा की विभिन्न योजनाओं यथा योजना सं0 03/11–12, 08/11–12, 14/11–12, 16/11–12, 20/10–11, 23/11–12, 53/11–12 एवं पंचायत की अन्य वृक्षारोपण योजनाओं में अनियमितता बरती गयी है, इत्यादि। शिकायतकर्त्ता के शिकायत–पत्र के संदर्भ में कार्यक्रम पदाधिकारी, भगवानपुर से शिकायत–पत्र से संबंधित तथ्यों की स्पष्टीकरण की मांग की गयी। कार्यक्रम पदाधिकारी, भगवानपुर द्वारा स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं किया जा सका। अतएव दिनांक 18.12.2013 को मेरे द्वारा शिकायत–पत्र में वर्णित कार्य योजनाओं की स्थल जांच की गयी। मेरे साथ ग्राम पंचायत, असोई लच्छीराम के वर्तमान पंचायत रोजगार सेवक, श्री प्रवेश कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखण्ड– भगवानपुर, स्थानीय शिकायतकर्त्तागण के साथ अन्य ग्रामीण भी उपस्थित थे। मेरे स्थल निरिक्षण में पाये गये योजनाओं की स्थिति निम्न प्रकार है। (1) योजना सं0–03/11–12 ग्राम कुतुबपुर में शकील झा के घर के निकट सार्वजनिक स्थान पर मिट्टी भराई कार्य– उक्त योजना में कार्यस्थल पर कोई कार्य किया हुआ नहीं पाया गया। योजना से संबंधित बोर्ड भी लगे हुए नहीं पाये गये। (2) योजना सं0 08/11–12 ग्राम असोई कुतुबपुर स्थित ललित बस्ती में मिट्टी भराई का कार्य– उक्त योजना में कार्यस्थल पर मिट्टी भराई का कार्य किया हुआ पाया गया। मगर मिट्टी कहॉ से लाया गया इसके कोई स्पष्ट स्थान या संकेत नहीं मिले है। कार्य स्थल पर अपने आवास के सामने श्री वासुदेव राम द्वारा बताया गया कि मेरा घर रविदास टोला कुतुबपुर ग्राम में है। मेरे दरवाजे पर ट्रैक्टर के द्वारा दो टेलर मिट्टी गिरवाया गया था जिसे मैने समतल किया है। जिसका कोई मजदूरी नहीं मिला है। उनके द्वारा अपने कथन को लिखित रूप से प्रस्तुत किया गया है।	

(3)योजना सं0– 14/11–12 ग्राम कुतुबपुर में ब्रह्म स्थान से मकसूधन सिंह के घर तक मिट्टी भराई कार्य –उक्त योजना में कार्यस्थल पर कोई कार्य किया हुआ नहीं पाया गया। योजना से संबंधित बोर्ड भी लगे हुए नहीं पाये गये।

(4) योजना सं0 16/11–12 ग्राम असोई वार्ड न0 5 में महेश दास के घर से भोला सिंह के घर तक मिट्टी भराई एवं ईटं सोलिंग कार्य–उक्त योजना में कार्यस्थल पर कोई कार्य किया हुआ नहीं पाया गया।

(5) योजना सं0 20/10–11 जवाहिर राय के घर से बिल्लु राय के घर तक होम पाइप नाला का निर्माण कार्य– उक्त योजना का कार्यस्थल पर निर्माण किया हुआ पाया गया। क्रियान्वित किये गये योजना के भूमि पर बसे ग्रामीण श्री उमेश कुमार राय द्वारा बताया गया है कि उक्त निर्माण किये गये होम पाइप नाला को हम दोनों भाई एवं जन सहयोग के द्वारा बनाया गया है। हम दोनों का घर आमने सामने है और वर्षा में घर डूब जाता था। उनके द्वारा उक्त कथन को लिखित रूप से भी स्पष्ट किया गया है।

(6) योजना सं0 23/11–12 ग्राम असोई में ब्रह्मस्थान का चबूतरा निर्माण – ग्राम असोई में ब्रह्मस्थान पर एक निर्माणाधीन चबूतरा पाया गया, जिसे मौके पर उपस्थित ग्रमीणों द्वारा बताया गया कि उक्त निर्माण किये जा रहे चबूतरे को स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जमा की गयी रकम से किया जा रहा है।

(7) योजना सं0 53/11–12 ग्राम असोई लच्छीराम में सीताराम चौधरी के घर से नाहर तक मिट्टी भराई एवं ईटं सोलिंग कार्य – उक्त योजना में पुराने सोलिंग को उखाड़कर मिट्टी भराई के पश्चात् ही सोलिंग किया जाना था। निर्माण कार्य की कुल दूरी अनुमानित लगभग 1700 फीट लम्बी होगी। जिसके लगभग 500 फीट की दूरी में ईटं सोलिंग का कार्य पूरा किया गया है। शेष आगे की दूरी में पुराने सोलिंग को उखाड़ दिया गया है। मगर नयी ईटं सोलिंग नहीं की जा सकी हे। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि आगे का कार्य किये जाने में स्थानीय निवासियों द्वारा सड़क के अतिक्रमण का विवाद उत्पन्न कर दिया गया। फलतः कार्य रूका हुआ है। उनलोगों के द्वारा सड़क किनारे पुराने ईटों को दिखाया गया जिसकी संख्या काफी कम थी। जो उखाड़कर रखा गया था।

(8) सामाजिक वानिकी (वृक्षारोपण) कार्यक्रम उक्त पंचायत में वृक्षारोपण की योजनाएँ मुख्यतः नहर के किनारे–किनारे लगायी गयी थी। स्थल निरिक्षण में कार्य योजना वर्ष 2009–10 से संबंधित योजनाओं की जांच की गयी। विदित हो कि उक्त नहर सराय से भगवानपुर, गोरौल होते हुए आगे तक भी जाती है। उक्त नहर के किनारे वृक्षारोपण, सिंचाई के हिसाब से भी काफी उपर्युक्त स्थल था मगर वृक्षारोपण योजना

सं0 05/09–10 से 18/09–10 तक के अन्तर्गत जीवित पौधो की संख्या लगभग नहीं के बराबर थी। योजनाओं से संबंधित किसी प्रकार के कोई बोर्ड लगे हुए नहीं पाये गये। कोई चापाकल भी स्थल पर नहीं पाये गये।

जांच के क्रम में उपस्थित वर्तमान कार्यरत पंचायत रोजगार सेवक, श्री प्रवेश कुमार द्वारा बताया गया कि वे कुछ ही दिन पहले उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थापित हुए है। तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक, श्री मायानन्द उपस्थित नहीं हो सकें। अतः श्री प्रवेश कुमार, पंचायत रोजगार सेवक को निदेश दिया गया कि योजनाओं से संबंधित अभिलेख एवं अन्य कागजात प्रस्तुत करें।

तत्पश्चात् पंचायत रोजगार सेवक, श्री प्रवेश कुमार प्रस्तुत द्वारा प्रतिवेदन किया गया। उक्त प्रतिवेदन में उन्होंने बताया कि पूर्व पंचायत रोजगार सेवक, श्री मायानन्दजी द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान किये गये योजनाओं से संबंधित कोई भी अभिलेख का प्रभार मुझे नहीं दिया गया है। सिर्फ प्रभार के रूप में रोकड़ बही दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 का अभिलेख, प्रभार में नहीं दिये जाने के कारण अभिलेख को मेरे द्वारा उपस्थापित किया जाना संभव नहीं है।

योजनाओं के अभिलेख की उपलब्धता हेतु कार्यक्रम पदाधिकारी, भगवानपुर से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में बताया गया कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त योजनाओं से संबंधित पूर्व भी इसी प्रकार का शिकायत–पत्र दिया गया था। उस शिकायत–पत्र की जांच मेरे द्वारा की गयी थी। उक्त जांच प्रतिवेदन भी उन्होनें प्रस्तुत किया है। जांच प्रतिवेदन दो पृष्टों का है। यह प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। उसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत् सभी योजनाओं में अनियमितता बरती गयी है। कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण में बताया गया कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली के ज्ञापांक 1484, दिनांक 27.08.2013 के आदेशानुसार ग्राम पंचायत असोई लच्छी राम के पंचायत रोजगार सेवक, श्री मायानन्द को सेवा मुक्त किया गया था। जिसके पश्चात् श्री प्रवेश कुमार को अतिरिक्त प्रभार के रूप में ग्राम पंचायत, असोई लच्छीराम का प्रभार प्रदान किया गया था। श्री प्रवेश कुमार द्वारा उन्हें सूचित किया गया था कि श्री मायानन्द द्वारा उन्हें पूर्ण प्रभार नहीं सौंपा गया है। उनके द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान सिर्फ रोकड़बही ही दिया गया है। कोई अभिलेख आदि नहीं दिया गया हे। अतः इसे मेरे स्तर से उपलब्ध कराना संभव नहीं है। उक्त संदर्भ में कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा अभिलेख एवं अन्य कागजात सौंपने हेतु श्री मायानन्द पूर्व पंचायत रोजगार सेवक को पूर्व में लिखे गये पत्र की प्रति

प्रस्तुत की गयी है। उन्होनें यह भी स्पष्ट किया है कि उक्तपत्र की सूचना उप विकास आयुक्त, वैशाली को भी दी जा चुकी है।

उपरोक्त सभी तथ्यों/ बिन्दुओं के समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि अभिलेख या अन्य कागजातों को प्राप्त करने हेतु पूर्व में भी प्रयास किये जा चुके है। परन्तु अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। अभिलेख के अभाव में योजनाओं की पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है। अतः उक्त संदर्भ में विधि सम्मत कारवाई किया जाये।

हस्ताक्षर

20/01/17

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक 190 /अभिकरण, दिनांक 20-1-14

प्रतिलिपिः श्री राकेश, ग्राम चकभुआ, ग्राम पंचायत–असोई लच्छी राम, थाना–भगवानपुर, जिला–वैशाली को सूचनार्थ।

20/01/17

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक 190 / अभिकरण, हाजीपुर दिनांक 20-1-14

प्रतिलिपिः उप विकास आयुक्त, वैशाली को सूचनार्थ एवं आग्रह है कि उक्त संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई की जाये। शिकायत–पत्र की छायाप्रति सुलभ प्रसंग संलग्न है।

अनुलग्नकः यथोक्त।

हस्ताक्षर

20/01/17

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक 190 /अभिकरण, हाजीपुर दिनांक 20-1-14

प्रतिलिपिः जिला पदाधिकारी–सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

20/01/17

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक 190 / अभिकरण, हाजीपुर दिनांक 20-01-14

प्रतिलिपिः सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

20/01/17

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।